कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) पंजाब एवं यू.टी., चण्डीगढ़-160017

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) पंजाब एवं यू.टी. चण्डीगढ़ की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वित्त वर्ष 2025-26 की जून-2025 तिमाही बैठक दिनांक 30.07.2025 को पूर्वाह्न 10.30 बजे सुश्री तृप्ति गुप्ता, महालेखाकार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में 30.06.2025 को समाप्त हुई तिमाही की प्रगति रिपोर्ट पर विचार-विमर्श हुआ। उक्त बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थेः-

क्र.सं.	नाम व पदनाम श्री / सुश्री	अभ्युक्ति
1.	रविनंदन गर्ग, वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा तथा वीएलसी)	सदस्य
2.	सुखनंदन सभरवाल, उप महालेखाकार (प्रशासन एवं यू.टी.)	सदस्य
3.	अजमेर सिंह, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (पी.ए.ओ.)	सदस्य
4.	भारत सिंह भंडारी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (पी.पी.सी.बी.)	सदस्य
5.	सुनील कुमार, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (पेंशन यू.टी.)	सदस्य
6.	रबिन्द्र कुमार, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (बजट/विनियोग)	सदस्य
7.	सुमित कुमार, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (पेंशन-3)	सदस्य
8.	मनमोहित शर्मा, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (सी.-1 से सी.-4)	सदस्य
9.	नितुल राज, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (पेंशन-6)	सदस्य
10.	राजीव भगत, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (टी.एम.)	सदस्य
11.	चन्दन कुमार, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कल्याण/सामान्य प्रशा.)	सदस्य
12.	राकेश रंजन मिश्रा, सहायक निदेशक (रा.भा.)	सचिव
13.	शिवकेश, वरिष्ठ अनुवादक	सदस्य
14.	मनीष कुमार, कनिष्ठ अनुवादक	सदस्य

1. **गत बैठक के कार्यवृत्त का पुनरीक्षण और पुष्टिः**

सर्वप्रथम गत बैठक के कार्यवृत्त का पुनरीक्षण कर उसकी पुष्टि की गई।

2. **30.06.2025 को समाप्त हुई तिमाही की हिंदी प्रगति रिपोर्ट पर विचार-विमर्शः**

30.06.2025 को समाप्त हुई तिमाही की हिंदी प्रगति रिपोर्ट पर विचार-विमर्श हुआ। तिमाही अवधि के दौरान राजभाषा संबंधी कार्यों की समीक्षा करते हुए यह पाया गया कि

File No. हिंदीअनुभाग/रा.का.स.बैठक/04/2024-25 (Computer No. 291750)
Generated from eOffice by RAKESH RANJAN MISHRA, RRM(AD-OL-RBH), ASSISTANT DIRECTOR (OFFICIAL LANGUAGE), AG-(A&E)-PUNJAB on 07/08/2025 12:09 pm

कार्यालय में राजभाषा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। 'क' और 'ख' क्षेत्रों के लिये हिंदी पत्राचार के 90 प्रतिशत निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष इस कार्यालय से 'क' तथा 'ख' क्षेत्र के साथ पत्राचार क्रमशः 98.47 प्रतिशत तथा 96.62 प्रतिशत रहा जिस पर अध्यक्ष महोदया ने संतोष व्यक्त किया। अध्यक्ष महोदया के संज्ञान में यह भी लाया गया कि राजभाषा नियम 5 के अंतर्गत निर्धारित सभी निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया है। अंग्रेज़ी भाषा में प्राप्त हो रहे पत्रों के उत्तर, यथासंभव, हिंदी में ही देने के लिए सभी शाखाधिकारियों से अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के संदर्भ में निर्धारित सभी निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

3. <u>अनुभागों को हिंदी में कार्य निष्पादन हेतु विनिर्दिष्ट करने के संबंध में:</u>

इस बैठक में राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्गत राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम 2025-26 के संदर्भ में चर्चा की गई जिसके अंतर्गत यह अनिवार्य प्रावधान किया गया है कि कार्यालय के कुल कार्यशील अनुभागों में से न्यूनतम 35 प्रतिशत अनुभागों को हिंदी में कार्य निष्पादन हेतु विनिर्दिष्ट किया जाए। इस संबंध में महालेखाकार महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त प्रावधान का प्रभावी रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा सभी संबंधित नियंत्रक अधिकारी निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित करें।

4. <u>एपीएआर (वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट):</u>

एपीएआर को द्विभाषीय (हिंदी एवं अंग्रेज़ी) रूप में प्रयोग किया जाना अपेक्षित है। इस विषय पर पूर्व में भी चर्चा की जा चुकी है, किंतु अब तक पूर्ण अनुपालना वांछित है। महालेखाकार महोदया द्वारा इस मद को गंभीरता से लिया गया और आदेशित किया गया कि अधिकांश वार्षिक रिपोर्ट (APAR) पहले से ही द्विभाषी हैं और मुख्यालय द्वारा निर्धारित/निर्देशित प्रारूप के अनुसार हैं... अतः राजभाषा अनुवादक कृपया इसकी पुनः जाँच करें। तथापि, उपमहालेखापरीक्षक/प्रशासन कृपया यह सुनिश्चित करें कि यदि कोई वार्षिक रिपोर्ट (APAR) द्विभाषी नहीं है, तो अगले वर्ष से उसे द्विभाषी बना दिया जाए क्योंकि इस वर्ष APAR भरने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है।

5. <u>नोटिंग-ड्राफ्टिंग की गुणवत्ता संबंधी निर्देश:</u>

बैठक के दौरान अध्यक्ष महोदया ने कार्यालय में प्रचलित नोटिंग की भाषा एवं गुणवत्ता पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि अनेक फाइलों में प्रस्तुत टिप्पणियाँ न तो भाषाई दृष्टि से शुद्ध होती हैं, न ही उनमें विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त हो पा रहे हैं। उन्होंने निर्देशित किया कि चाहे टिप्पणियाँ हिंदी में हों अथवा अंग्रेज़ी में, वे व्याकरण-सम्मत, सरल, स्पष्ट और शुद्ध भाषा में प्रस्तुत की जाएँ। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि अभिलेखों में विचारों को किस प्रकार सुसंगत, सुस्पष्ट और गरिमामय ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। महालेखाकार

महोदया ने सहायक निदेशक (राजभाषा) को निर्देशित किया कि यदि आवश्यक हो तो इस विषय में अधिक से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कार्यशालाओं की संख्या बढ़ाई जाए अथवा जो भी अन्य आवश्यक व्यवस्थाएँ हों, उन्हें समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित किया जाए, ताकि नोटिंग की गुणवत्ता में व्यावहारिक सुधार हो सके।

6. **राजभाषा निरीक्षण में पाई गई कमियाँ एवं सुधारात्मक निर्देश:**

राजभाषा निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों पर बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। निरीक्षण में यह स्पष्ट हुआ कि कुछ मोहरें केवल अंग्रेज़ी/हिंदी में हैं। महालेखाकार महोदया ने निर्देशित किया कि अगली बैठक से पूर्व सभी मोहरों को राजभाषा नियमों के अनुरूप द्विभाषीय रूप में बनवाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि जो मोहर (रबर स्टैंप्स) अब उपयोग में नहीं हैं अथवा अप्रचलित हो चुके हैं, उन्हें अन्य मोहरों के साथ मिश्रण की स्थिति से बचाने हेतु नियमानुसार नष्ट कर दिया जाए।

7. **हिंदी दिवस/पखवाड़ा-2025 का आयोजन:**

समिति के संज्ञान में यह लाया गया कि विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदी दिवस का संयुक्त आयोजन माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में गाँधी नगर, गुजरात में किया जाएगा| अतः इसका ध्यान रखते हुए विस्तृत कार्यक्रम अलग से तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देशित किया गया| अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि मुख्यालय से कार्यक्रम की सूचना प्राप्ति के अनुसार विधिवत प्रस्ताव 15 अगस्त 2025 तक प्रस्तुत कर दिया जाए ताकि मुख्यालय को बजट की युक्तिसंगत मांग समय से भेजी जा सके|

8. **पखवाड़े के दौरान हिंदी प्रतियोगिताओं के लिए निर्णायक मंडल के गठन पर सुझाव:**

बैठक के दौरान श्री सुमित कुमार, वरिष्ठ लेखा अधिकारी द्वारा सुझाव दिया गया कि राजभाषा पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए निर्णायक मंडल के गठन एवं चयन की प्रक्रिया पर विचार किया जाना चाहिए ताकि मूल्यांकन निष्पक्ष, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

महालेखाकार महोदया ने उक्त सुझाव पर विचार करते हुए निर्देशित किया कि निर्णायक मंडल के गठन में यथोचित अधिकारी को नामित करने का प्रयास किया जाए, जिससे निर्णायकों का चयन सुविचारित एवं उपयुक्त रूप से किया जा सके।

अध्यक्ष महोदया के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई ।

Digitally signed by
Sukhnandan Sabharwal
Date: 04-08-2025

उप महालेखाकार (प्रशासन)

क्रः रा.भा.अ./रा.का.स.-04/2025-26/ दिनांकः .07.2025

प्रतिलिपिः-

1. उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन

File No. हिंदीअनुभाग/रा.का.स.बैठक/04/2024-25 (Computer No. 291750)
Generated from eOffice by RAKESH RANJAN MISHRA, RRM(AD-OL-RBH), ASSISTANT DIRECTOR (OFFICIAL LANGUAGE), AG-(A&E)-PUNJAB on 07/08/2025 12:09 pm

हिंदीअनुभाग/रा.का.स.बैठक/04/2024-25

कार्यालय-1 (दिल्ली), त्रिकूट-2 तृतीय तल, भिकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली -110066 को सूचनार्थ।

2. महालेखाकार महोदय के सचिव।

3. राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य।

4. सभी शाखा अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी/प्रभारी अधिकारी समस्त अनुभाग।

5. आई.टी.एस.सी. – वेबसाइट पर राजभाषा सब-मोड्यूल के अंतर्गत अपलोड करने हेतु।

सहायक निदेशक (राजभाषा)